



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - /12-1 मुनिकीरेती,

दिनांक 18/04/2022,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद-टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-305/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड़ का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक-3420/12-1, दिनांक-12.04.2022,।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रश्नगत मोटरमार्ग एवं मलवा निस्तारण हेतु चयनित श्री त्रिवेन्द्र सिंह, कास्तकार पुत्र श्री चतर सिंह के अनापत्ति प्रमाण-पत्र में हस्ताक्षर अपेक्षित है।	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा श्री त्रिवेन्द्र सिंह, कास्तकार पुत्र श्री चतर सिंह के हस्ताक्षर प्रस्ताव में करवा दिये गये हैं।
2	प्रारूप-11/औचित्य प्रमाण-पत्र में आरक्षित वन भूमि 4.69 हे0 दर्शायी गयी है, जबकि अन्य प्रपत्रों स्थिति भिन्न है। स्थिति स्पष्ट की जाये।	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रारूप-11/औचित्य प्रमाण-पत्र में आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल संशोधित (4.41 हे0) कर दिया गया है।
3	प्रारूप-11/वन भूमि की मांग का औचित्य एवं विवरण में 6 ग्रामों का उल्लेख किया गया है, जबकि उप खण्ड स्तरीय समिति में केवल ग्राम-पसर एवं रौन्देली के प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण से मात्र 02 ग्राम सभा पसर एवं रौन्देली प्रभावित हो रहे हैं जबकि मार्ग निर्माण से 06 ग्राम सभायें लाभान्वित होंगे जिस हेतु उनके द्वारा प्रारूप-11/वन भूमि की मांग का औचित्य एवं विवरण में 6 ग्रामों का उल्लेख किया गया है, जबकि उप खण्ड स्तरीय समिति में 02 ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा से सम्बन्धित (पसर एवं रौन्देली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र में दिनांक अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मोटरमार्ग के अन्तर्गत पडने वाले अन्य ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित होने वाली भूमि केवल 02 ग्राम-सभा पसर एवं रौन्देली की है अतः उन्ही ग्राम-सभाओं के प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये हैं। अन्य ग्रामों की कोई भूमि प्रभावित नहीं होती है। वह मात्र मोटरमार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम-सभा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र में यथा स्थान दिनांक अंकित कर दी गयी है।
5	प्रारूप-06 प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक अपेक्षित है।	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रारूप-06 प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक अंकित कर दी गयी है।
6	प्रस्ताव में संलग्न भाग-01 में रोजगार पैदा होने की सम्भवना में मानव दिवसों की संख्या रिक्त है।	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा-च में रोजगार पैदा होने वाले सम्भावित मानव दिवसों की संख्या अंकित कर दी गयी है।

<p>03 (वन संरक्षक द्वारा भरे जाने) या अंकित की जाय।</p>	<p>बिन्दु संख्या-07 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी अपेक्षित है।</p>
<p>सैनिक स्वीकृति 25 किमी० मार्ग निर्माण के भू-वैज्ञानिक आख्या में मार्ग निर्माण हेतु 25.00 किमी० का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट</p>	<p>बिन्दु संख्या-08 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति 25.00 किमी० मार्ग निर्माण की है, जबकि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर मार्ग निर्माण की कुल वास्तविक लम्बाई 23.00 किमी० ही आती है। अतः प्रस्ताव में मार्ग की लम्बाई 23.00 किमी० ही दर्शायी गयी है।</p>
<p>प्रारूप-16 में संलग्न परियोजना की लम्बाई चौड़ाई के विवरण में मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि के आंकलन में त्रुटि है। जिसे सही कर पुनः प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।</p>	<p>बिन्दु संख्या-09 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रारूप-16 (परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई) का विवरण में मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि के आंकलन में पायी गयी त्रुटि सही कर दी गयी है।</p>
<p>10 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र को टोपोशीट में दर्शाते हुये प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।</p>	<p>बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र को टोपोशीट में दर्शाते हुये प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या-04 पर चरपा किया गया है।</p>
<p>11 प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रारूपों (एक प्रारूप से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्र अन्यत्र न लगाकर एक साथ संलग्न किये जायें) को निर्धारित क्रमवार संलग्न किया जाये कतिपय प्रपत्र जो एक साथ संलग्न होने चाहिये व प्रस्ताव में भिन्न-भिन्न पृष्ठों में संलग्न किये गये है। जिन्हे क्रमवार संलग्न किया जाना आवश्यक है।</p>	<p>बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रारूपों (एक प्रारूप से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्र अन्यत्र न लगाकर एक साथ संलग्न किये जायें) को निर्धारित क्रमवार संलग्न कर दिया गया है।</p>

संलग्नक:-3 प्रतियों में।

भवदीय

(डॉ० धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक

संख्या -2139 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक

o/c